न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/33/2021	08–10–2021	23–08–2022

01– संज्या देवी पत्नि स्व0 नारायण
02– पूरण पुत्र स्व0 नारायण
03– सरवण पुत्र स्व0 नारायण
04– नन्दकिशोर पुत्र स्व0 पुत्र नारायण जाति बलाई निवासी ग्राम जैतपुर ब्राहमण तहसील थानागाजी जिला अलवर।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 06.12.1978 नामान्तकरण सख्या 31 ग्राम जैतपुर ब्राहमण तहसील थानागाजी जिला अलवर।

उपस्थितः–
01–श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्टस
01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 06.12.1978 नामान्तकरण संख्या 31 ग्राम जैतपुर ब्राहमण तहसील थानागाजी जिला अलवर। दर्ज कर निर्णित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांटस उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 साविक 612 मिन रकबा 5 बीधा जिसके हाल आराजी खसरा न0 695 रकबा 1.25 है0 बने है, ग्राम जैतपुर ब्राहम्ण तहसील थानागाजी अपीलान्टस के पति व पिता स्व0 नारायण को भूमि आंवटन अधिकारी द्वारा दिनाक 28.06.1976 को भूमिहीन होने के कारण आंवटन की गयी थी जिसका पटटा दिनाक 16.08.1978 को स्व0 नारायण के हक में जारी किया गया जिस पर आंवटन के समय भूमि आंवटन अधिकारी ने जहॉ पर कब्जा सम्भलवाया गया था, वहा आंवटन के समय आंवटी नारायण काविज रहकर कार्य काश्त करता चला आ रहा था। उसके जीवनकाल से एवं उनके स्वर्गवास के बाद से अपीलान्टस काबिज रहकर कार्य काश्त करते चले आ रहे है। स्व0 नारायण के हक में भूमि आंवटन के आधार पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नामान्तकरण संख्या 31 गैरखातेदारी का पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 22.10.1978 को खोला गया, लेकिन नामान्तकरण संख्या 31 तहसीलदार थानागाजी ने बिना अपीलान्टस के पति व पिता स्व0 रारायण आंवटी को सुनवाई का अवसर दिये, बेजा व विधि विरूद्व मौके व कब्जे के खिलाफ दिनाक 06.12.1978 को खारिज कर दिया गया। तहत अदालत में नामान्तकरण संख्या 31 पटवारी हल्का ने दिनाक 22.10.1978 को दर्ज किया उसी दिन भू0 अभिलेख निरीक्षक ने भी मिलान किया जाकर राजस्व अभियान कैम्प सीलीबावडी में दिनाक 06.12. 1978 को निर्णय हेतु तहसीलदार के सम्क्ष पेश किया नामान्तकरण के प्रथम पेज पर स्पष्ट रूप से निर्णय लिखा हुआ है, आराजी खसरा न0 612 मिन रकबा 5 बीधा पर नारायण पुत्र मांगू कौम बलाई साकिन देह गैर खातेदार किया जाना स्वीकार है। नीचे हस्ताक्षर नही किये इसे काटकर नामान्तकरण के पीछे आलोच्य निर्णय लिखा गया है। इससे भी स्पष्ट जाहिर होता है, कि तहत अदालत ने किसी व्यक्ति विशेष से मिलकर व प्रभाव में आकर बिना प्रभावित पक्षकार आंवटी नारायण को बिना सुने विधिक भूल से यह आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। आलोच्य निर्णय स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व एवं तथ्यो के विपरित एवं आवटन नियमो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्टस को पूर्व में नही थी, दिनाक 04.07.2019 को पटवारी हल्का के पास अपीलान्टस अपने पति व पिता स्व0 नारायण की विरासत के आधार पर आई आराजी पर केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल लेने गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके पति व पिता स्व0 नारायण की आराजी आपके कब्जे में जो खसरा न0 695 पर चला आ रहा है, उसका आंवटन आपके पति व पिता स्व0 नारायण को हुआ था, उसका नामान्तकरण संख्या 31 तो बहुत पहले ही खारिज किया जा चुका है। इसलिए उसका अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में नही आया जिसकी जानकारी करके नामान्तकरण संख्या 31 की नकल के लिए प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में उसी दिन दिनाक 04.07.2019 को पेश किया गया जिस पर नकल दिनाक 08.07.2019 को प्राप्त हुई जिसे अपने वकील को दिखाया गया तो अपील किये जाने की सलाह दी गयी जिस पर बिना देरी किये निर्णय की तारीख 04.07.2019 से नकल तैयार होने के दिनाक 08.07. 2019 तक के दिन मियाद में मुजरा दिये जाकर अपील अन्दर अवधि पेश की गयी है। दिनाक 06.12.1978 से दिनाक 04.07.2019 तक का समय अपीलान्टस को निर्णय की जानकारी नही होने के कारण व्यतीत हुआ है, जो नेक नियती एवं युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने के कारण काबिल माफ तथा मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर अपील अपीलान्टस अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 06.12.1978 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्टस तहत अदालत में पक्षकार नही था, न्यायालय हाजा में अपील इजाजत बाबत 96 सी.पी.सी. पेश करना चाहिए था जो अपीलान्ट द्वारा पेश नही किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट्स व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक द्वारा उठाये गये कानूनी बिन्दू धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना के अभाव पर विचार किया जाना आवश्यक है। तहत अदालत के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स तहत अदालत में पक्षकार नहीं थे। न्यायालय हाजा में अपील इजाजत बाबत 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था जो अपीलान्ट्स द्वारा पेश नहीं किया गया है। धारा 96 सी.पी.सी. के अभाव में अपील के गुणदोष पर निर्णय किये बिना धारा 96 सी.पी.सी. के अभाव में अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स धारा 96 सी.पी.सी. के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.12.1978 नामान्तकरण सख्या 31 ग्राम जैतपुर ब्राहमण तहसील थानागाजी यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.08.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)